



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/एसीपी/ 02/ 5740 दिनांक:-25.06.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-181/2018

विषय:-Grant of Grade Pay Rs. 6600/PB-3 to Nursing Personnel i.e. Staff Nurses/Nursing Sister/Matron/Chief Matron under 3rd MACP.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. PC-V/2009/ACP/2 दिनांक 14.06.2018, RBE No. 87/2018, S. No. PC-VII/106 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.


(प्रदीप मिश्रा)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

CPO

3529
22/06/18

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

(17)
EIR No. - 181/2018

क्रम सं. पीसी-VII/106
पीसी-V/2009/एसीपी/2

आरबीई सं. 87/2018
नई दिल्ली, दिनांक 14-06-2018

S.E.C.R.Y.

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- तीसरी एमएसीपी के अंतर्गत नर्सिंग कार्मिक अर्थात् स्टॉफ नर्स/नर्सिंग सिस्टर/मैट्रन/चीफ मैट्रन को ग्रेड पे रुपए 6600/पीबी-3 प्रदान करना।

CPO (2R)

कर्मचारी पक्ष (एनएफआईआर एवं एआईआरएफ) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 09-09-2016 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर एमएसीपीएस के अंतर्गत नर्सिंग कार्मिकों को ग्रेड पे रुपए 6600/पीबी-3 में तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किए जाने की मांग की थी। इस मामले की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से जांच की गई थी और अब निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:

क) वे स्टॉफ नर्स/नर्सिंग सिस्टर/मैट्रन/चीफ मैट्रन, जिन्हें 31-08-2008 तक 5500-9000 रुपए और 6500-10500 रुपए के पदक्रम वेतनमान में एसीपी योजना के अंतर्गत पहला एवं दूसरा वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया गया है, को प्रतिस्थापन ग्रेड पे रुपए 4800/पीबी-2 तथा रुपए 5400/पीबी-3 प्रदान किया जाए। इसलिए, यदि इन कोटियों के अधिकारियों को एमएसीपी योजना के अंतर्गत तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया गया है तो इसे पीबी-3 में 5400/- रुपए से संशोधित करके रुपए 6600/पीबी-3 कर दिया जाए।

ख) वे स्टॉफ नर्स/नर्सिंग सिस्टर/चीफ मैट्रन, जिन्हें 31-08-2008 तक 5500-9000 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान में पहला एसीपी प्रदान किया गया है, को रुपए 4800/पीबी-2 के प्रतिस्थापन ग्रेड पे में रखा जाए। वे केवल रुपए 5400/पीबी-2 और रुपए 5400/पीबी-3 के ग्रेड पे में एमएसीपी योजना के अंतर्गत दूसरा एवं तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किए जाने के लिए पात्र होंगे।

ग) सभी अन्य स्टॉफ नर्स/नर्सिंग सिस्टर/ मैट्रन/चीफ मैट्रन, जिन्हें एमएसीपी योजना के अंतर्गत पहला, दूसरा एवं तीसरा वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया जाना है, को अगली उच्चतर ग्रेड पे प्रदान की जाए।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

Rudhig
च 2/6
circulate करें

X
सचिव/SECY

(शुभांकर दत्ता)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड

PCPO
PCMD
PFA

181/18
8/2

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board) रेलवे बोर्ड

S.No.PC-VII/106
PC-V/2009/ACP/2

RBE No. 87 /2018
New Delhi, dated 14-6-2018

The General Managers
All Indian Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub:- Grant of Grade Pay Rs.6600/PB-3 to Nursing Personnel i.e. Staff Nurses/Nursing Sister/Matron/Chief Matron under 3rd MACP.

The Staff Side (NFIR and AIRF) had demanded for grant of 3rd financial upgradation in the Grade Pay of Rs.6600/PB-3 to Nursing Personnel under MACPS on the basis of OM dated 09-09-2016 issued by Ministry of Health and Family Welfare. The matter was examined in consultation with the Deptt. of Personnel and Training and it has now been decided as under:

a) Those Staff Nurse/Nursing Sister/Matron/Chief Matron who have been awarded 1st and 2nd financial upgradation under ACP Scheme in the hierarchy pay scale of Rs.5500-9000 and Rs.6500-10500 upto 31-8-2008 may be granted a replacement Grade Pay of Rs.4800/PB-2 and Rs.5400/PB-3. Therefore, the 3rd financial upgradation under MACP Scheme, if granted to these categories of officials, may be revised to Rs.6600/PB-3 from Rs.5400 in PB-3.

b) Those Staff Nurse/Nursing Sister/Chief Matron who have been granted 1st ACP in the pre-revised pay scale of Rs.5500-9000 upto 31-8-2008 may be placed in the replacement Grade Pay of Rs.4800/PB-2. They will be entitled for grant of 2nd and 3rd financial upgradation under MACP Scheme in the Grade Pay of Rs.5400/PB-2 and Rs.5400/PB-3 only.

c) All the remaining Staff Nurse/Nursing Sister/Matron/Chief Matron who are to be granted 1st, 2nd and 3rd financial upgradation under MACP Scheme may be granted next higher Grade Pay.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Hindi version is enclosed.


11/6/18

(Subhankar Dutta)
Deputy Director, Pay Commission-V
Railway Board